



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032023-244078  
CG-DL-E-02032023-244078

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]  
No. 149]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2023

फा. सं.—एल—1/250/2019/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर—राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर—राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग)(पहला संशोधन) विनियम, 2023 है।
- ये विनियम आयोग द्वारा यथाधिसूचित तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन

- मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ख) 'संबद्ध पारेषण प्रणाली' या 'एटीएस' का वही अर्थ होगा जैसा जीएनए विनियम में परिभाषित है;"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ज) में शब्दों "आईएसटीएस के लिए मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच" के स्थान पर शब्द "आईएसटीएस के लिए जीएनए या जीएनए<sub>आरई</sub> या टी-जीएनए या टीजीएनए<sub>आरई</sub>, यथास्थिति," रखे जाएंगे।

(3) दो नए उप-खंडों (ज- i) और (ज- ii) को मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ज) के बाद निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

"(ज- i) 'आदेशिती डीआईसी' से वह डीआईसी अभिप्रेत है जो आईएसटीएस से विद्युत आहरित करता है परंतु इसमें इन विनियमों के विनियम 5 से 8 के अधीन पारेषण प्रभारों की शेयरिंग के प्रयोजन हेतु ईएसएस शामिल नहीं होगा;

(ज- ii) 'जीएनए विनियम' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 और इसका कोई उत्तरवर्ती संशोधन या पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;"

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ड) के बाद एक नया उप-खंड (ड- i) निम्नानुसार शामिल किया जाएगा:

"(ड- i) 'एलपीएस नियम' से समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अभिप्रेत है,"

(5) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंडों (ज), (त), (ध), (म) और (घघ) का विलोप होगा।

(6) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) के बाद एक नए खंड (3) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(3) किसी भी अधिनियमों, नियमों और विनियमों के संदर्भ में उनका संशोधन या समेकन या पुनराधिनियमन शामिल है।"

### 3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (1) में शब्दों "शेयर किया जाएगा" से पहले के शब्दों "डीआईसी के बीच" का विलोप किया जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (2) में शब्द "डीआईसी" से पहले शब्द "आदेशिती" को शामिल जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(3) आदेशिती डीआईसी और उत्पादन स्टेशन या विक्रेता के बीच किए गए पीपीए में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, पारेषण प्रभारों की शेयरिंग के लिए बिलों को इन विनियमों के संदर्भ में आदेशिती डीआईसी पर बनाया जाएगा और जहां भी आवश्यकता हो, आदेशिती डीआईसी और उत्पादन स्टेशन या विक्रेता के बीच पारेषण प्रभारों के समायोजन को पीपीए के संदर्भ में परस्परता से या संबंधित पक्षों के बीच आपसी करार के अनुसार किया जाएगा।"

### 4. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(4) राष्ट्रीय संघटक के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों को सभी आदेशिती डीआईसी द्वारा जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> की उनकी मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाएगा।"

### 5. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 6 के खंडों (2) और (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(2) इस विनियम के खंड (1) के उप-खंडों (क) के अधीन कवर किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों को प्राप्त करने वाले प्रदेश के आदेशिती डीआईसी द्वारा जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> की उनकी मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाएगा।

(3) इन विनियम के खंड (1) के उप-खंड (ख) के अधीन कवर किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों को उस प्रदेश के आदेशिती डीआईसी द्वारा शेयर किया जाएगा जिसमें जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> की उनकी मात्रा के अनुपात में आस्ति स्थित है।"

**6. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:**

- (1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) में शब्दों "निकासी के लिए नियोजित" से पहले शब्दों "उनकी संबद्ध बे और डाउनस्ट्रीम बे के साथ" का अंतर्वेशन किया जाएगा।
- (2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (2) में शब्दों "दीर्घकालिक पहुंच जमा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच" के स्थान पर शब्दों "जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub>" की मात्रा को रखा जाएगा।

**7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:**

- (1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) में "आदेशिती डीआईसी" से पहले शब्दों "और खुली दीर्घकालिक पहुंच सहित अंतर्क्षण करने वाली डीआईसी" का विलोप होगा।

- (2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(5) एसी-बीसी के अधीन पारेषण प्रभारों को सभी आदेशिती डीआईसी द्वारा जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> की उनकी मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाएगा।"

**8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:**

- (1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (7) में शब्दों "निकासी नोड" के बाद आने वाले शब्दों "एवं अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित प्रत्येक अंतर्क्षण नोड" का विलोप होगा।

- (2) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(8) कार्यान्वयन एजेंसी, एसी-यूबीसी के अधीन राज्य के लिए पारेषण प्रभारों को अवधारित करने हेतु पारेषण प्रभारों को एकत्रित करेगी जैसा कि राज्य नियंत्रण क्षेत्र के अंदर स्थित निकासी नोड में इस विनियम के खंड (7) के अनुसार प्राप्त किया गया है:

परंतु यह कि राज्य नियंत्रण क्षेत्र के अंदर स्थित और पृथक जीएनए प्राप्त करने वाले आदेशिती डीआईसी को (राज्य के वितरण अनुज्ञापिधारियों के अलावा), जो कि राज्य के वितरण अनुज्ञापिधारियों के जीएनए में शामिल नहीं हैं, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार उनके संबंधित आहरण नोड पर प्राप्त पारेषण प्रभारों पर आधारित एसी-यूबीसी के अधीन पारेषण प्रभारों को प्रभाजित किया जाएगा और ऐसे पारेषण प्रभार राज्य के सकल पारेषण प्रभारों में शामिल नहीं होंगे:

परंतु यह और कि आदेशिती डीआईसी को, जो को प्रादेशिक इकाई है, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार उनके संबंधित आहरण नोड पर प्राप्त पारेषण प्रभारों के अनुसार एसी-यूबीसी के अधीन पारेषण प्रभारों को प्रभाजित किया जाएगा।"

- (3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (9) का विलोप होगा।

**9. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन:**

- (1) मूल विनियम के विनियम 11 का मुख्य शीर्षक को "टी-जीएनए और टी-जीएनए<sub>आरई</sub> के लिए पारेषण प्रभार" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (2) मूल विनियम के विनियम 11 के खंडों (1) से (6) को खंडों (1) से (3) द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) टी-जीएनए दर (रु./मेगावाट/ समय-ब्लॉक में) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उसकी वेबसाइट पर प्रत्येक बिलिंग मास के लिए प्रकाशित की जाएगी जिसे राज्य-वार निम्नानुसार संगणित किया जाएगा:

इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार परिकलित (रूप में) बिलिंग मास के लिए राज्य में स्थित सभी आदेशिती डीआईसी हेतु पारेषण प्रभार X 1.10 / (मास में दिनों की संख्या X 96 X संबंधित बिलिंग अवधि के लिए, बिलिंग हेतु विचाराधीन राज्य में स्थित सभी ऐसे आदेशिती डीआईसी के लिए जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> की मात्रा, मेगावाट में)

(2) जीएनए विनियमों के विनियम 26.1 के अधीन टी-जीएनए या टी-जीएनए<sub>आरई</sub> अनुदत्त इकाइयों द्वारा पारेषण प्रभार, उस राज्य के लिए अंतिम प्रकाशित टी-जीएनए दर के अनुसार देय होंगे जिसमें ऐसी इकाई स्थित है।

(3) बिलिंग मास में एकत्रित टी-जीएनए और टी-जीएनए<sup>आरई</sup> के लिए पारेषण प्रभारों की प्रतिपूर्ति, इन विनियमों के अनुबंध-III के खंड (2) के उप-खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्रभारों के समायोजन के बाद, आगामी बिलिंग मास में प्रथम बिल में उनके हिस्से के अनुपात में आदेशिती डीआईसी को की जाएगी।”

#### 10. मूल विनियम के विनियम 12 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के खंडों (1) और (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1) पारेषण विचलन को, मेगावाट में, निम्नानुसार अभिकलित किया जाएगा:

(क) ईएसएस और कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित उत्पादन स्टेशन के लिए पारेषण विचलन, समय ब्लॉक में उस इकाई के जीएनए की अधिकता में नेट मीटर्ड एक्स-बस अंतःक्षेपण होगा।

परंतु यह कि हाइड्रो-उत्पादन स्टेशन के लिए, पीक सीज़न के दौरान ग्रिड कोड के अधीन यथा अनुज्ञेय ओवरलोड क्षमता के लिए अनुसूचियों को पारेषण विचलन के अभिकलन हेतु ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

परंतु यह और कि पारेषण विचलन प्रभार, संबंधित आरपीसी द्वारा ऐसे अति-अंतःक्षेपण के सत्यापन के अध्यक्षीन, उत्पादन स्टेशन द्वारा प्राथमिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अति-अंतःक्षेपण की मात्रा के लिए नहीं लगाए जाएंगे।

परंतु यह भी कि प्रत्येक आरपीसी उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया के संबंध में उत्पादन स्टेशनों द्वारा डाटा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।

(ख) किसी राज्य के लिए समय ब्लॉक में पारेषण विचलन, उन सभी आदेशिती डीआईसी के लिए जीएनए और टी-जीएनए के योगफल से अधिकता में नेट मीटर्ड आहरण होगा जो उस राज्य में अंतःराज्यिक इकाइयों हैं:

परंतु यह कि जहाँ किसी राज्य में समय ब्लॉक में नेट मीटर्ड अंतःक्षेपण है, वहाँ समय ब्लॉक में पारेषण विचलन (i) राज्य में सभी आदेशिती अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए जीएनए, (ii) अंतःक्षेपण वाली अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए जीएनए (राज्य के लिए जीएनए के अधीन शामिल नहीं) और (iii) अंतःक्षेपण वाली अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए टी-जीएनए के योगफल से अधिकता में नेट मीटर्ड अंतःक्षेपण होगा।

(ग) किसी आदेशिती डीआईसी के लिए जो कि प्रादेशिक इकाई है और राज्य जीएनए के अधीन कवर नहीं है, पारेषण विचलन, उक्त इकाई के जीएनए और टी-जीएनए के योगफल की अधिकता में नेट मीटर्ड आहरण होगा।

(घ) जीएनए<sup>आरई</sup> या टी-जीएनए<sup>आरई</sup> वाली आदेशिती डीआईसी के लिए जो कि प्रादेशिक इकाई है, समय ब्लॉक में पारेषण विचलन, मूल विनियमों के विनियम 13(2) के अधीन उपखंडों (i) से (iii) में यथा विनिर्दिष्ट ज्ञात स्रोतों से जीएनए<sup>आरई</sup> और टी-जीएनए<sup>आरई</sup> के अधीन अनुसूचित आहरण की अधिकता में नेट मीटर्ड आहरण होगा।

परंतु यह कि, यदि ऐसी इकाई मूल विनियमों के विनियम 13(2) के खंडों (i) से (iii) में यथा विनिर्दिष्ट ज्ञात स्रोतों के अलावा स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए जीएनए विनियमों के अधीन यथा अनुमति अतिरिक्त जीएनए या टी-जीएनए प्राप्त करती है, तो समय ब्लॉक में पारेषण विचलन [मूल विनियमों के विनियम 13(2) के खंडों (i) से (iii) में यथा विनिर्दिष्ट ज्ञात स्रोतों से जीएनए<sup>आरई</sup> और टी-जीएनए<sup>आरई</sup> के अधीन अनुसूचित आहरण + जीएनए की मात्रा + टी-जीएनए की मात्रा] के योगफल से अधिक में नेट मीटर्ड आहरण होगा।

(2) किसी राज्य या राज्य में स्थित किसी अन्य डीआईसी के लिए पारेषण विचलन दर का अभिकलन रु./मेगावाट में बिलिंग मास के दौरान समय ब्लॉक के लिए निम्नानुसार किया जाएगा:

1.25 X (बिलिंग मास के लिए (इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार यथा परिकलित) राज्य में स्थित सभी आदेशिती डीआईसी के लिए कुल पारेषण प्रभार रु. में)/(संबंधित बिलिंग अवधि के लिए बिलिंग हेतु विचाराधीन राज्य में स्थित ऐसी इकाइयों की जीएनए और जीएनए<sup>आरई</sup> की मात्रा मेगावाट में X मास में दिनों की संख्या X 96)।”

(2) मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (3) में शब्द “डीआईसी” से पहले शब्द “आदेशिती” का अंतर्वेशन किया जाएगा।

**11. मूल विनियम के विनियम 13 का संशोधन:**

(1) मूल विनियमों के विनियम 13 खंड (1) में शब्दों 'पारेषण प्रभारों और हानियों' के स्थान पर शब्दों 'पारेषण हानियों' को रखा जाएगा।

(2) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (1) के उप-खंड (ग) में तारीख '31.12.2022' के स्थान पर तारीख और शब्दों '30.06.2023 या इन विनियमों के प्रथम संशोधन के प्रचालन की तारीख, जो भी पहले हो' को रखा जाएगा।

(3) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (1) के उपखंड (ग) के बाद एक नए उपखंड (घ) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(घ) उन सौर, पवन, सौर-पवन हाइब्रिड, हाइड्रो पीएसपी और बीईएसएस परियोजनाओं पर आधारित उत्पादन जिनकी बोली दिनांक 15.1.2021 पर या उससे पहले पूरी हुई थी और जिन्हें उनके संबंधित पीपीए में विनिर्दिष्ट तारीख के अंदर वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है।"

(4) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के स्थान पर खंड (2) और खंड (2क) निम्नानुसार रखे जाएंगे:

"(2) निम्नलिखित शर्तों के अधीन (i) पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस या (ii) आरईजीएस या आरएचजीएस से प्राप्त ऊर्जा से प्रभारित ईएसएस या (iii) हाइड्रो पावर स्रोतों पर आधारित उत्पादन से जीएनए, जीएनए<sup>आरई</sup>, टी-जीएनए और टी-जीएनए<sup>आरई</sup> के अधीन विद्युत के अनुसूचीकरण के लिए आईएसटीएस के उपयोग हेतु कोई पारेषण प्रभारों का अधित्याग लागू होगा:

(क) पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस या हाइड्रो पीएसपी ईएसएस, जिन्हें दिनांक 30.6.2025 तक वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया गया है, उन पर सीओडी की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए माना जाएगा।

(ख) पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस के साथ प्रभारित बैटरी ईएसएस जिन्हें दिनांक 30.6.2025 तक वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया गया है, उन पर सीओडी की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के लिए पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए माना जाएगा।

(ग) ईएसएस पर पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए माना जाएगा, जब ऐसा ईएसएस, पवन या सौर स्रोतों के आधार पर आरईजीएस या आरएचजीएस से उत्पादित विद्युत के साथ जल की पंपिंग या बैटरी की चार्जिंग के लिए अपनी वार्षिक विद्युत आवश्यकता के कम से कम 51% को पूरा करता है।

(घ) सेकी निर्माण से जुड़ी क्षमता योजना (दिनांक 25.06.2019 की आरएफएस सं. एसईसीआई/सीएंडपी/आरएफएस/2जीडब्ल्यू/मेनुफैक्चरिंग/पी-3/आर1/062019) के अधीन सौर पीवी उत्पादन स्टेशन से उत्पादन पर ऐसे उत्पादन स्टेशन की सीओडी की तारीख पर विचार किए बिना आरपीओ वाली इकाइयों को बिक्री हेतु सीओडी की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए माना जाएगा।

(ङ) उस हाइड्रो उत्पादन स्टेशन पर सीओडी की तारीख से 18 वर्षों की अवधि के लिए इस विनियम के अधीन पारेषण प्रभारों के अधित्याग के लिए विचार किया जाएगा जहां (क) पीपीए दिनांक 1.12.2022 पर या इसके बाद परंतु दिनांक 30.06.2025 पर या इससे पूर्व हस्ताक्षरित हुआ है और (ख) निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2025 को या इससे पूर्व प्रदान किया गया है।

(च) उन पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस या हाइड्रो पीएसपी ईएसएस या बैटरी ईएसएस को निम्नानुसार माना जाएगा जिन्हें दिनांक 30.06.2025 के बाद और दिनांक 30.06.2028 तक वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया है या नई हाइड्रो परियोजनाओं जहां निर्माण कार्य प्रदान किया गया है और पीपीए दिनांक 30.06.2025 के बाद हस्ताक्षरित किया गया है:

**I. पवन या सौर स्रोतों पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस या हाइड्रो पीएसपी ईएसएस या बीईएसएस ईएसएस:**

श्रेणी	सीओडी की अवधि	सीओडी से वर्षों की संख्या	अनुबंध-III के अधीन चरण-1 के अधीन पहचाने गए उस उत्पादन स्टेशन या ईएसएस से आहरण अनुसूची का % जिस पर विचार किया जाएगा
पवन या सौर स्रोतों या हाइड्रो पीएसपी ईएसएस पर आधारित आरईजीएस या आरएचजीएस	1.7.2025 से 30.6.2026	25 वर्ष	75
	1.7.2026 से 30.6.2027	25 वर्ष	50
	1.7.2027 से 30.6.2028	25 वर्ष	25
	30.6.2028 के बाद		0
बैटरी ईएसएस	1.7.2025 से 30.6.2026	12 वर्ष	75
	1.7.2026 से 30.6.2027	12 वर्ष	50
	1.7.2027 से 30.6.2028	12 वर्ष	25
	30.6.2028 के बाद		0

## II. नई हाइड्रो परियोजनाएं:

पीपीए हस्ताक्षर करने की तारीख और निर्माण कार्य का प्रदान किया जाना	सीओडी से वर्षों की संख्या	अनुबंध-III के अधीन चरण-1 के अधीन पहचाने गए उस उत्पादन स्टेशन या ईएसएस से आहरण अनुसूची का % जिस पर विचार किया जाएगा
1.7.2025 से 30.6.2026	18 वर्ष	75
1.7.2026 से 30.6.2027		50
1.7.2027 से 30.6.2028		25
30.6.2028 के बाद		0

(छ) यदि आरईजीएस के अलावा कोई उत्पादन स्टेशन अपने अनुसूचित उत्पादन को इन विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के उप-खंडों (i) और (ii) के अधीन ज्ञात स्रोत (स्रोतों) से आपूर्ति विद्युत के साथ इस बात पर विचार किए बिना कि ऐसे ज्ञात स्रोत उत्पादन स्टेशन के परिसर के अंदर या बाहर स्थित हैं प्रतिस्थापित करता है, तो उप-खंडों (क) से (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन, प्रतिस्थापित विद्युत की मात्रा के लिए ऐसे उत्पादन स्टेशन के आदेशिती डीआईसी के लिए पारिषण प्रभारों का अधित्याग किया जाएगा।

(2क) इस विनियम के खंड (2) के अधीन अधित्याग की संगणना हेतु विस्तृत पद्धति इन विनियमों के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट है।”

(5) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(3) जहां नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के अलावा संयोजकता अनुदानग्राही की सीओडी जीएनए विनियमों के संदर्भ में विलंबित होती है या संयोजकता के आरंभ की तारीख से पूर्व होती है, और संबद्ध पारिषण प्रणाली ने सीओडी प्राप्त कर ली है, जो कि संयोजकता के आरंभ की तारीख से पूर्व नहीं है, तो अनुदानग्राही उस संयोजकता क्षमता के तदनुसूची संबद्ध पारिषण प्रणाली के लिए वार्षिक पारिषण प्रभारों का भुगतान करेगा जिसने सीओडी प्राप्त नहीं की है।

परंतु यह कि जहां संयोजकता अनुदानग्राही, नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है और नवीकरणीय विद्युत पार्क के अंदर उत्पादन क्षमता ने जीएनए विनियमों के संदर्भ में संयोजकता के आरंभ की तारीख पर या उससे पूर्व सीओडी घोषित नहीं की है, और संबद्ध पारिषण प्रणाली ने सीओडी प्राप्त कर ली है, जो कि संयोजकता के आरंभ की तारीख से पूर्व नहीं है, तो नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता उस उत्पादन क्षमता के तदनुसूची संबद्ध पारिषण प्रणाली के लिए वार्षिक पारिषण प्रभारों का भुगतान करेगा जिसने सीओडी प्राप्त नहीं की है।

परंतु यह कि उस संयोजकता क्षमता के तदनुसूची संबद्ध पारिषण प्रणाली के संबंध में वार्षिक पारिषण प्रभारों को जिसने सीओडी प्राप्त कर ली है, इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार डीआईसी के पारिषण प्रभारों के अवधारण के लिए शामिल किया जाएगा।”

(6) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(4) जहां संबद्ध पारेषण प्रणाली के एक या एक से अधिक पारेषण घटकों ने संबद्ध पारेषण प्रणाली की सीओडी से पूर्व सीओडी प्राप्त कर ली है और संयोजकता अनुदानग्राही जीएनए विनियमों के विनियम 22.4 के खंड (क) के अनुसार अपनी संयोजकता की भाग प्रभावशीलता की मांग करता है, तो संबद्ध पारेषण प्रणाली के ऐसे पारेषण घटकों के संबंध में वार्षिक पारेषण प्रभारों को इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार डीआईसी के पारेषण प्रभारों के अवधारण हेतु शामिल किया जाएगा।”

(7) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (6) में शब्दों “उत्पादन केन्द्र” के स्थान पर शब्दों “संयोजकता अनुदानग्राही” रखा जाएगा:

(8) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (7) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(7) जहां संयोजकता मौजूदा प्रणाली के मार्जिनों पर या बिना किसी एटीएस के साथ संवर्द्धित प्रणाली पर नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता से भिन्न संयोजकता अनुदानग्राही को प्रदान की गई है और यदि ऐसे अनुदानग्राही की सीओडी में संयोजकता के आरंभ की तारीख के बाद विलंब हुआ है तो संयोजकता अनुदानग्राही विलंब हुई उस क्षमता की तदनुसूची रु. 3000/मेगावाट/माह की दर पर इस प्रकार की संयोजकता की आरंभिक तारीख से पारेषण प्रभारों को अदा करेगा:

परन्तु कि जहां संयोजकता अनुदानग्राही नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता है और नवीकरणीय पावर पार्क के अंदर उत्पादन क्षमता जीएनए विनियमों के अनुसार संयोजकता की आरंभिक तारीख को या उससे पूर्व सीओडी को घोषित नहीं किया है वहां नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता उस उत्पादन क्षमता के तदनुसूची जिसे सीओडी से प्राप्त नहीं किया गया है, रु.3000/मेगावाट/माह की दर पर इस प्रकार की संयोजकता की आरंभिक तारीख से पारेषण प्रभार अदा करेगा:

स्पष्टीकरण: बिलिंग मास में प्राप्त ऐसी राशि आगामी बिलिंग मास में प्रथम बिल में उनके शेयर के अनुपात में आदेशिती डीआईसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।”

(9) शब्द “दीर्घकालिक पहुंच” को मूल विनियम के विनियम 13 के खण्ड (8) में “संयोजकता” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(10) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (9) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(9) जहां समर्पित पारेषण लाइन पहले ही निर्मित हो गई है या केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी की समन्वित पारेषण योजना के अधीन अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माणाधीन है और संयोजकता अनुदानग्राही ने समर्पित पारेषण लाइन के सीओडी से पूर्व या सीओडी को प्राप्त नहीं किया है तो इस प्रकार की समर्पित पारेषण लाइन के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे संयोजकता अनुदानग्राही की सीओडी तक समर्पित पारेषण लाइन के सीओडी से अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को संबंधित संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा प्रतिदेय होंगे और जिसके बाद समर्पित पारेषण लाइन के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार पर इन विनियमों के विनियम 5 से 8 के अनुसार विचार किया जाएगा।”

(11) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (10) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(10) आईएसटीएस के माध्यम से (क) सीओडी से पूर्व स्टार्ट-अप विद्युत आहरण करने वाले या (ख) सीओडी से पूर्व या बाद में अनुषंगिक विद्युत का आहरण करने वाले प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन, उस राज्य के लिए टी-जीएनए दर पर ऐसे आहरण के लिए पारेषण प्रभारों का भुगतान करेगा जिसमें वह स्थित है और बिलिंग मास में प्राप्त उस राशि की प्रतिपूर्ति आगामी बिलिंग मास में प्रथम बिल में आदेशिती डीआईसी को उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी।”

(12) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (11) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(11) उत्पादन स्टेशन की सीओडी से पूर्व अशक्त विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए पारेषण विचलन प्रभार नहीं लगाए जाएंगे।”

(13) मूल विनियमों के विनियम 13 के खंड (12) में उपखंड (ग) के बाद शब्द ‘या’ को रखा जाएगा।

(14) नए उपखण्ड (घ) से (छ) को निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 13 के खण्ड (12) में उपखण्ड (ग) के बाद जोड़ा जाएगा:

“(घ) उस आदेशिती डीआईसी द्वारा देय होगी, जिसकी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली तब तक विलंबित होती है जब तक ऐसी अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली सीओडी प्राप्त करती है।

(ड) उस अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपभोक्ता द्वारा देय होगी जिसे आईएसटीएस को प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अनुमोदन प्राप्त है और जिसके आईएसटीएस को संयोजन करने वाली पारेषण लाइन में विलंब होता है और जब तक कि उस प्रकार की लाइन के आईएसटीएस को संबद्ध होती है, या

(च) ईएसएस द्वारा देय होगी जिसके प्रोजेक्ट में विलंब होता है, जब तक ईएसएस सीओडी प्राप्त करता है।

(छ) नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता द्वारा प्रदत्त जिसके पार्क में विलंब होता है, जब तक यह आईएसटीएस से जुड़ा रहता है।”

## 12. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) में “संयुक्त एलटीए के साथ डीआईसी को और अंतःक्षेपण डीआईसी” शब्दों का विलोप किया जाएगा।

## 13. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:

(1) मूल विनियमों के विनियम 15 के खंड (2) के उपखंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) प्रत्येक बिलिंग मास के प्रथम बिल में इन विनियमों के विनियम 5 से विनियम 8 के अनुसार अवधारित बिलिंग अवधि के लिए पारेषण प्रभार शामिल होंगे जैसा कि इन विनियमों के विनियम 13(2) के अनुसार समायोजित है।”

(2) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (2) के उपखण्ड (ख) को निम्नानुसार किया जाएगा:

“(ख) द्वितीय बिल यथा लागू प्रोत्साहन सहित आयोग द्वारा अनुमत्त पारेषण प्रभारों में किसी पुनरीक्षण के कारण भिन्नताओं के समायोजन के लिए क्रमशः 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए प्रत्येक वर्ष जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के महीनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु कि बिलिंग अवधि के संबंध में पारेषण प्रभारों में इस प्रकार के पुनरीक्षण के कारण किसी रकम की कम वसूली या अधिक वसूली को संगत बिलिंग माह में उनके प्रथम बिल (इन विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) की फ़ैक्टरिंग के बाद यथा परिकलित) के अनुपात में डीआईसी को केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा बिल किया जाएगा।”

## 14. मूल विनियम के विनियम 18 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“विलंब भुगतान प्रभार, एलपीएस नियमावली के अनुसार संबंधित डीआईसी द्वारा प्रतिदेय होगा यदि इन विनियमों के अधीन प्रतिदेय प्रभारों के लिए किसी बिल का भुगतान देय तारीख के आगे डीआईसी द्वारा विलंब हो जाता है।”

## 15. मूल विनियम के विनियम 19 का संशोधन:

(1) मूल विनियमों के विनियम 19 के खंड (1) में शब्दों “तीन माह” के स्थान पर संख्या और शब्द “2 (दो) मास” रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 19 के खण्ड (1) में “दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालनीकरण की तारीख” शब्दों (कई बार उपस्थित) को “जीएनए या जीएनए<sub>आरई</sub> की प्रभावी तारीख” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।



(3) मूल विनियम के विनियम 19 के खण्ड (7) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अपेक्षित रकम के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र के इस प्रकार के अन्य लिखत या साखपत्र को बनाए रखने या पुनः पूर्ति के लिए किसी डीआईसी के भाग पर विफलता के मामले में, चूककर्ता डीआईसी एलपीएस नियमावली के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होगा।

**16. मूल विनियम के विनियम 21 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 21 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“इन विनियमों के अधीन देय तारीख तक बिलों के लिए पारेषण प्रभारों के भुगतान करने के लिए डीआईसी के भाग पर विफलता एलपीएस नियमावली के अनुसार अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापिधारी (अनुज्ञापिधारियों) की ओर से केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा कार्रवाई के लिए इस प्रकार के डीआईसी को दायी करेगा।”

**17. मूल विनियम के विनियम 23 का संशोधन:**

(1) एक नया खण्ड (4) निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 23 के खण्ड (3) के बाद जोड़ा जाएगा:

“(4) कार्यान्वयन एजेंसी इस संशोधन की अधिसूचना की 45 (पैंतालिस) दिनों के अंदर स्टेकहोल्डर परामर्श के बाद इस संशोधन के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित विस्तृत क्रियाविधियों को प्रकाशित करेगी।”

**18. मूल विनियम के विनियम 24 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 24 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) का विलोप किया जाएगा।

**19. मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 25 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) में “दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच” शब्दों को “जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub>” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मूल विनियमों के विनियम 25 के खंड (1) के उप-खंड (प) के बाद नया उप-खंड (ज) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(ज) अनुबंध-III के अनुसार विस्तृत परिकलन।”

**20. मूल विनियम के अनुबंध-1 में संशोधन:**

(1) मूल विनियम के अनुबंध-1 के खण्ड 5.16.3 के उपखण्ड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“(घ) उक्त खण्ड (ग) में प्राप्त मार्जिनल फ्लो फाइल को निम्नानुसार संशोधित करना:

- उत्पादन स्टेशनों के लिए मार्जिनल सहभागिता फैक्टर के मूल्य को शून्य तक कम करना।

(2) मूल विनियम के अनुबंध-1 के खण्ड 5.16.4 का विलोप किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./674/2022-23]

**अनुबंध-III**

**पारेषण प्रभारों के अधित्याग की संगणना की पद्धति**

(1) आदेशिती डीआईसी जिन्होंने जीएनए और जीएनए<sub>आरई</sub> प्राप्त किया है के संबंध में पारेषण प्रभारों के अधित्याग की संगणना के लिए पद्धति

(क) प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के लिए आईएसटीएस के लिए पारेषण प्रभार इन विनियमों के विनियम 5 से 8 के अनुसार संगणित किए जाएंगे।

(ख) पारेषण प्रभारों का अधित्याग निम्नलिखित ढंग से संगणित किया जाएगा: -

(i) आदेशिती डीआईसी जो कि ऐसे आदेशिती डीआईसी जिन्होंने “जीएनए<sub>आरई</sub>” प्राप्त किया है से भिन्न हैं, उनका अधित्याग निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर संगणित होगा:

$$\text{अधित्याग (\%)} = 100 \times \frac{\sum_{n=1}^T \frac{SDRG}{SDTG}}{T}$$

जहां,

“एसडीआरजी” nth ब्लाक में इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से जीएनए के अधीन आईएसटीएस के माध्यम से आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है;

“एसडीटीजी” nth ब्लाक में सभी स्रोतों से आईएसटीएस के माध्यम से जीएनए के अंतर्गत कुल आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है;

“एन” nth समय ब्लॉक है

“टी” माह में समय ब्लॉक की संख्या है = 96 X माह में दिनों की संख्या

परन्तु कि यदि समय ब्लॉक के लिए “एसडीटीजी” जीएनए के तदनुसूची अनुसूची के 75% से कम है तो “एसडीटीजी” समय ब्लॉक के लिए जीएनए के तदनुसूची अधिकतम अनुसूची के 75% के रूप में लिया जाएगा।

(ii) आदेशिती डीआईसी जिसने “जीएनए<sub>आरई</sub>” प्राप्त किया है का अधित्याग निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर संगणित किया जाएगा:

$$\text{अधित्याग (\%)} = 100 \times (\text{माह में सभी समय ब्लॉकों के लिए एसडीआरजी का योग}) / (\text{माह में कुल समय ब्लॉकों की संख्या} \times 0.3 \times \text{जीएनए}_{\text{आरई}})$$

जहां,

“जीएनए<sub>आरई</sub>” इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से केवल विद्युत की प्राप्ति के लिए जीएनए है;

“एसडीआरजी” इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से जीएनए<sub>आरई</sub> के अधीन आईएसटीएस के माध्यम से समय ब्लॉक में आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है;

परन्तु कि अधिकतम अधित्याग 100% तक सीमित होगा:

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार की इकाई अतिरिक्त जीएनए या टी-जीएनए के प्राप्त करने या सीटीयू को आवेदन करते हुए जीएनए में जीएनए<sub>आरई</sub> को संपरिवर्तित करने के बाद को छोड़कर इन विनियमों के विनियम 13 (2) के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से भिन्न किसी स्रोत से विद्युत का आहरण करती है तो यह उस राज्य के, जिसमें इस प्रकार की इकाई स्थित है, @ टीडीआर पर प्रभारित होगा।

(ग) प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के लिए अधित्याग की रकम इस खण्ड के उपखण्ड (क) के अधीन संगणित पारेषण प्रभारों सहित उपखण्ड (ख) के अधीन संगणित अधित्याग % को गुणा करते हुए अवधारित होगी।

(घ) उपखण्ड (क) के अधीन संगणित प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के लिए पारेषण प्रभार इस खण्ड के उपखण्ड (ग) में संगणित अधित्याग की रकम द्वारा कम किया जाएगा।

(ङ) अधित्याग की कुल रकम इस खण्ड के उपखण्ड (ग) के अधीन संगणित सभी आदेशिती डीआईसी के लिए अधित्याग की रकम के योग के रूप में संगणित की जाएगी।

(च) प्रथम बिल इस खण्ड के उपखण्ड (घ) में यथासंगणित और इस खण्ड के उपखण्ड (घ) के अनुसार संगणित प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के पारेषण प्रभारों के अनुपात में उपखण्ड (ङ) के अधीन यथाप्राप्त अधित्याग की कुल रकम को संविभाजित करते हुए प्राप्त रकम का योग होगा और विनियम 15 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन बिलिंग के लिए प्रयुक्त होगा।

(2) उन आदेशित डीआईसी के संबंध में जिन्होंने टी-जीएनए या टी-जीएनए<sub>आरई</sub> प्राप्त किया है पारेषण प्रभारों के अधित्याग की संगणना की पद्धति

(क) टी-जीएनए और टी-जीएनए<sub>आरई</sub> के लिए आईएसटीएस के लिए पारेषण प्रभारों को इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार संगणित किया जाएगा।

(ख) पारेषण प्रभारों का अधित्याग निम्नलिखित ढंग से संगणित होगा: -

(i) आदेशिती डीआईसी जो कि ऐसे डीआईसी जिसने टी-जीएनए<sub>आरई</sub> प्राप्त किया है से भिन्न हैं, उनका अधित्याग निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर संगणित होगा:

$$\text{अधित्याग (\%)} = 100 \times \frac{\sum_{n=1}^T \left( \frac{\text{SDRTG}}{\text{SDTTG}} \right)}{T}$$

जहां,

“एसडीआरटीजी” nth ब्लाक में इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से टी-जीएनए के अधीन आईएसटीएस के माध्यम से आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है;

“एसडीटीटीजी” nth ब्लाक में सभी स्रोतों से आईएसटीएस के माध्यम से टी-जीएनए के अंतर्गत कुल आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है; और

“एन” nth समय ब्लॉक है

“टी” माह में समय ब्लॉक की संख्या है = 96 X माह में दिनों की संख्या

परन्तु कि यदि समय ब्लॉक के लिए “एसडीटीटीजी” जीएनए के तदनुरूपी अनुसूची के 75% से कम है तो “एसडीटीटीजी” समय ब्लॉक के लिए टी-जीएनए के तदनुरूपी अधिकतम अनुसूची के 75% के रूप में लिया जाएगा।

(ii) आदेशिती डीआईसी जिसने “टी-जीएनए<sub>आरई</sub>” प्राप्त किया है का अधित्याग निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर संगणित किया जाएगा:

$$\text{अधित्याग (\%)} = 100 \times (\text{माह में सभी समय ब्लॉकों के लिए एसडीआरटीजी का योग}) / (\text{माह में समय ब्लॉकों की कुल संख्या} \times 0.3 \times \text{टी-जीएनए}_{\text{आरई}})$$

जहां,

“टी-जीएनए<sub>आरई</sub>” इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से केवल विद्युत की प्राप्ति के लिए टी-जीएनए है;

“एसडीआरटीजी” समय ब्लॉक में इन विनियमों के विनियम 13 के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से टी-जीएनए<sub>आरई</sub> के अधीन आईएसटीएस के माध्यम से आहरण अनुसूची (मेगावाट में) है;

परन्तु कि अधिकतम अधित्याग 100% तक सीमित होगा:

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार की इकाई अतिरिक्त जीएनए या टी-जीएनए के प्राप्त करने या सीटीयू को आवेदन करते हुए टी-जीएनए में टी-जीएनए<sub>आरई</sub> को संपरिवर्तित करने के बाद को छोड़कर इन विनियमों के विनियम 13 (2) के अधीन अधित्याग के लिए पात्र स्रोतों से भिन्न किसी स्रोत से विद्युत का आहरण करती है तो यह उस राज्य के जिसमें इस प्रकार की इकाई स्थित है के @ टीडीआर पर प्रभारित होगा।

(ग) प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के लिए अधित्याग की रकम इस खण्ड के उपखण्ड (क) के अधीन संगणित पारेषण प्रभारों सहित उपखण्ड (ख) के अधीन संगणित अधित्याग % को गुणा करते हुए अवधारित होगी।

(घ) इस खण्ड के उप-खण्ड (ग) के अधीन यथासंगणित प्रत्येक आदेशिती डीआईसी के लिए अधित्याग की रकम की अगले 15वें दिवस तक अनसूचियों को अंतिम रूप देने पर पहले से प्रदत्त टी-जीएनए या टी-जीएनए<sub>आरई</sub> प्रभारों से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2023

**F. No.L-1/250/2019/CERC.**—In exercise of the powers conferred under Section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 (herein after referred to as “the Principal Regulations”) namely:

**1. Short Title and Commencement:**

- (1) The regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) (First Amendment) Regulations, 2023.
- (2) These regulations shall come into effect from the date as notified by the Commission.

**2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:**

- (1) Sub-clause (b) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(b) ‘Associated Transmission System’ or ‘ATS’ shall have the same meaning as defined in GNA Regulations;”

- (2) In Sub-Clause (j) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations, the words “Medium Term Open Access or Long Term Open Access to ISTS” shall be substituted with the words “GNA or GNA<sub>RE</sub> or T-GNA or T-GNA<sub>RE</sub> to ISTS, as may be applicable”.
- (3) New Sub-clauses (j-i) and (j-ii) shall be included after subclause (j) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(j-i) ‘Drawee DIC’ shall mean the DICs which draw power through ISTS but shall not include the ESS for the purpose of sharing of transmission charges under Regulations 5 to 8 of these Regulations;

(j-ii) ‘GNA Regulations’ means Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 and any subsequent amendments or re-enactments thereof;”

- (4) A new sub-clause (m-i) shall be included after subclause (m) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:
- “(m-i) ‘LPS Rules’ means the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 as amended from time to time,”
- (5) Sub-clauses (h), (p), (s), (y) and (dd) of Clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be deleted.
  - (6) A new Clause (3) shall be added after Clause (2) of Regulation 2 of the Principal Regulations as under:

“(3) Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.”

**3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:**

- (1) The words “amongst the DICs” after the words “shall be shared” in Clause (1) of Regulation 3 of the Principal Regulations shall be deleted.
- (2) The word “drawee” shall be inserted before the word “DICs” in Clause (2) of Regulation 3 of the Principal Regulations.
- (3) Clause (3) of the Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(3) Notwithstanding any provision to the contrary in the PPA entered into between the drawee DIC and the generating station or the seller, the bills for sharing of transmission charges shall be raised on the Drawee DICs in terms of these Regulations and the settlement of the transmission charges inter se between the Drawee DICs and the generating station or the seller, wherever necessary, shall be made in terms of the PPA or as per the mutual agreement between the concerned parties.”

**4. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations:**

- (1) Clause (4) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(4) The Yearly Transmission Charges for the National Component shall be shared by all the drawee DICs inproportion to theirquantum of GNA and  $GNA_{RE}$ .”

**5. Amendment to Regulation 6 of thePrincipal Regulations:**

(1) Clauses (2) and (3) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(2) Yearly Transmission Charges covered under sub-clauses (a) of Clause (1) of this Regulation shall be shared by drawee DICs of the receiving region inproportion to their quantum of GNA and  $GNA_{RE}$ .

(3) Yearly Transmission Charges covered under sub-clause (b) of Clause (1) of this Regulation shall beshared by drawee DICs of theregion in which the asset is located in proportion to their quantum of GNA and  $GNA_{RE}$ .”

**6. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:**

(1) The words “along with their associated bays and downstream bays” shall be inserted before the words “planned for drawal” in Clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations.

(2) The words “Long Term Access plus Medium Term Open Access” shall be substituted with the words “quantum of GNA and  $GNA_{RE}$ ” in Clause (2) of Regulation 7 of the Principal Regulations.

**7. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:**

(1) The words “and injecting DICs with untied LTA”after the words “drawee DICs” shall be deleted in Clause (3) of Regulation 8 of the Principal Regulations.

(2) Clause (5) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted asunder:

“(5) Transmission charges under AC-BC shall be shared by all drawee DICs inproportion to their quantum of GNA and  $GNA_{RE}$ .”

**8. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:**

(1) The words “and each injection node with untied LTA” occurring after the words “drawalnode”shall be deleted in Clause (7) of Regulation 9 of the Principal Regulations.

(2) The Clause (8) of Regulation 9 of the Principal Regulations shall be substituted as follows:

“(8) The Implementing Agency shall aggregate the transmission charges as obtained in accordance with Clause (7) of this Regulation at drawal nodes located within the State control area, to determine the transmission charges for the State under AC-UBC:

Provided that drawee DICs (other than the distribution licensees of the State) located within State control area and having obtained separate GNA, which are not included in the GNA of the distribution licensees of the State, shall be apportioned the transmission charges under AC-UBC based on the transmission charges obtained at their respective drawl node(s) in accordance with Clause (7) of this Regulation and such transmission charges shall not be included in the aggregate transmission charges of the State:

Provided further that drawee DIC which is a regional entity, shall be apportioned the transmission charges under AC-UBC as per the transmission charges obtained attheir respective drawl node(s) in accordance with Clause (7) of this Regulation.”

(3) Clause (9) of Regulation 9 of the Principal Regulations shall be deleted.

**9. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations:**

(1) The main heading of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as “Transmission charges for T-GNA and  $T-GNA_{RE}$ ”.

(2) Clauses (1) to (6) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted by Clauses (1) to (3) as under:

“(1) T-GNA Rate (in Rs./MW/time-block) shall be published for each billing month by the Implementing Agency on its website which shall be calculated State-wise as under:

Transmission charges for all drawee DICs located in the State, for the billing month,as calculated in accordance with Regulation 5 to 8 of these regulations (in rupees) X 1.10 / (number of days in a month X 96 X GNA and  $GNA_{RE}$  quantum , in MW, for all such drawee DICs located in the State considered for billing, for the corresponding billing period).

(2) Transmission charges shall be payable by the entities granted T-GNA or  $T-GNA_{RE}$  under Regulation 26.1 of the GNA Regulations, as per the last published T-GNA rate for the State in which such entity is located.

(3) Transmission charges for T-GNA and T-GNA<sub>RE</sub> collected in a billing month, shall be reimbursed to the drawee DICs in proportion to their share in the first bill in the following billing month, after adjustment of such charges as per sub-clause (d) of Clause (2) of Annexure-III to these regulations.”

**10. Amendment to Regulation 12 of the Principal Regulations:**

(1) Clauses (1) and (2) of Regulation 12 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(1) Transmission Deviation, in MW, shall be computed as under:

(a) For a generating station including ESS and captive generating plant, transmission deviation shall be net metered ex-bus injection, in a time block in excess of GNA of such entity:

Provided that for a hydro-generating station, schedules for overload capacity as permissible under the Grid Code during peak season shall not be considered for computing the transmission deviation:

Provided that for a hydro-generating station, schedules for overload capacity as permissible under the Grid Code during peak season shall not be considered for computing the transmission deviation:

Provided further that transmission deviation charges shall not be levied for the quantum of over-injection for providing primary response by a generating station, subject to verification of such over-injection by concerned RPC:

Provided also that each RPC shall issue necessary guidelines for furnishing the data by the generating stations regarding their primary response.

(b) For a State, transmission deviation in a time block shall be net metered drawal in excess of sum of GNA and T-GNA for all drawee DICs which are intra-State entities in that State:

Provided that, where a State has net metered injection in a time block, transmission deviation in a time block shall be net metered injection in excess of sum of (i) GNA for all drawee intra-State entities in the State, (ii) GNA for injecting intra-State entities (not covered under GNA for the State) and (iii) T-GNA for injecting intra-State entities.

(c) For a drawee DIC, which is a regional entity and not covered under State GNA, transmission deviation shall be net metered drawal in excess of sum of GNA and T-GNA of the said entity.

For a drawee DIC, which is a regional entity, having GNA<sub>RE</sub> or T-GNA<sub>RE</sub>, transmission deviation in a time block shall be net metered drawal in excess of scheduled drawl under GNA<sub>RE</sub> and T-GNA<sub>RE</sub> from identified sources as specified in subclauses (i) to (iii) under Regulation 13(2) of the Principal Regulations.

Provided that, if such an entity obtains additional GNA or T-GNA, as permitted under GNA Regulations, for purpose of drawl of power from sources other than identified sources as specified in subclauses (i) to (iii) of Regulation 13(2) of the Principal Regulations, transmission deviation in a time block shall be net metered drawal in excess of sum of [scheduled drawl under GNA<sub>RE</sub> and T-GNA<sub>RE</sub> from identified sources as specified in subclauses (i) to (iii) under Regulation 13(2) of the Principal Regulations + quantum of GNA + quantum of T-GNA].

(2) Transmission Deviation Rate in Rs./MW, for a State or any other DIC located in the State, for a time block during a billing month shall be computed as under:

$1.25 \times (\text{total transmission charges for all drawee DICs located in the State, (as calculated in accordance with Regulation 5 to 8 of these regulations) for the billing month in Rs.}) / (\text{GNA and GNA}_{RE} \text{ quantum in MW of such entities located in the State, considered for billing, for the corresponding billing period } \times \text{ number of days in a month } \times 96).$ ”

(2) The word “drawee” shall be inserted before the word “DICs” in Clause (3) of Regulation 12 of the Principal Regulations.

**11. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations:**

(1) The words ‘transmission charges and losses’ shall be substituted with the words ‘transmission losses’ in Clause (1) of Regulation 13 of the Principal Regulations.

(2) In sub-clause (c) to Clause (1) of Regulation 13 of the Principal Regulations, the date ‘31.12.2022’ shall be substituted with the date and words ‘30.6.2023 or date of operation of the First amendment to these regulations, whichever is earlier’.

(3) A new subclause (d) shall be added after subclause (c) of Clause (1) of Regulation 13 of the Principal Regulations as under:

“(d) generation based on solar, wind, solar-wind hybrid, Hydro PSP and BESS Projects whose bidding was completed on or before 15.1.2021 and which are declared under commercial operation within the date specified in their respective PPAs.”

(4) Clause (2) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted by Clauses (2) and (2A) as under:

“(2) Waiver of transmission charges for the use of ISTS shall be applicable for scheduling power under GNA, GNA<sub>RE</sub> T-GNA and T-GNA<sub>RE</sub> from (i) REGS or RHGS based on wind or solar sources or (ii) ESS charged with energy sourced from REGS or RHGS or (iii) generation based on hydro power sources, subject to the following conditions:

- (a) REGS or RHGS based on wind or solar sources or Hydro PSP ESS which have declared commercial operation upto 30.6.2025 shall be considered for waiver of transmission charges. for a period of 25 years from date of COD.
- (b) Battery ESS charged with REGS or RHGS based on wind or solar sources who have declared commercial operation upto 30.6.2025 shall be considered for waiver of transmission charges for a period of 12 years from date of COD:
- (c) ESS shall be considered for waiver of transmission charges, when such ESS is meeting atleast 51% of its annual electricity requirement for pumping of water or charging of battery with electricity generated from REGS or RHGS based on wind or solar sources.
- (d) Generation from Solar PV generating station under SECI manufacturing linked capacity scheme (RFS No. SECI/C&P/Rfs/2GW Manufacturing/P-3/R1/062019 dated 25.06.2019) for sale to entities having RPO irrespective of date of COD of such generating station shall be considered for waiver of transmission charges for a period of 25 years from date of COD.
- (e) Hydro generating station where (a) PPAs are signed on or after 1.12.2022 but on or before 30.06.2025 and (b) construction work is awarded on or before 30.06.2025 shall be considered for waiver of transmission charges under this Regulation, for a period of 18 years from the date of COD of the hydro generating station
- (f) REGS or RHGS based on wind or solar sources or Hydro PSP ESS or Battery ESS which are declared under commercial operation after 30.6.2025 and upto 30.6.2028 or new hydro projects where construction work is awarded and PPA is signed after 30.06.2025 shall be considered as follows:

**I. REGS or RHGS based on wind or solar sources or Hydro PSP ESS or BESS ESS:**

Category	Period of COD	Number of years from COD	% of drawl Schedule from identified generating station or ESS, to be considered under Step-1 under Annexure-III
<b>REGS or RHGS based on wind or solar sources or Hydro PSP ESS</b>	1.7.2025 to 30.6.2026	25 years	75
	1.7.2026 to 30.6.2027	25 years	50
	1.7.2027 to 30.6.2028	25 years	25
	After 30.6.2028		0
<b>Battery ESS</b>	1.7.2025 to 30.6.2026	12 years	75
	1.7.2026 to 30.6.2027	12 years	50
	1.7.2027 to 30.6.2028	12 years	25
	After 30.6.2028		0

**II. New hydro projects :**

Date of signing of PPA and award of construction work	Number of years from COD	% of drawl Schedule from identified generating station or ESS, to be considered under Step-1 under Annexure-III
1.7.2025 to 30.6.2026	18 years	75
1.7.2026 to 30.6.2027		50
1.7.2027 to 30.6.2028		25
After 30.6.2028		0

- (g) In case a generating station other than REGS replaces its scheduled generation by power supplied from identified source(s) under sub-clauses (i) and (ii) of clause (2) of Regulation 13 of these regulations irrespective of whether such identified sources are located within or outside the premises of the generating station, transmission charges shall be waived for drawee DICs of such generating station for the quantum of power replaced, subject to fulfilment of the conditions specified in sub-clauses (a) to (f).

(2A) The detailed methodology for calculating waiver under Clause (2) of this Regulation is specified at Annexure-III of these regulations.”

- (5) Clause (3) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted asunder:

“(3) Where COD of a Connectivity grantee other than Renewable Power Park Developer is delayed on or before start date of Connectivity in terms of GNA Regulations, and the Associated Transmission System has achieved COD, which is not earlier than start date of Connectivity, the Connectivity grantee shall pay Yearly Transmission Charges for the Associated Transmission System corresponding to Connectivity capacity which has not achieved COD:

Provided that where a Connectivity grantee is Renewable Power Park Developer and the generation capacity within the Renewable Power Park has not declared COD on or before start date of Connectivity in terms of GNA Regulations, and the Associated Transmission System has achieved COD, which is not earlier than start date of Connectivity, the Renewable Power Park Developer shall pay Yearly Transmission Charges for the Associated Transmission System corresponding to generation capacity which has not achieved COD:

Provided that Yearly Transmission Charges in respect of Associated Transmission System corresponding to the Connectivity capacity which have achieved COD shall be included for determination of transmission charges of DICs in accordance with Regulations 5 to 8 of these regulations.”

- (6) Clause (4) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted asunder:

“(4) Where one or more of the transmission elements of the Associated Transmission System have achieved COD before the COD of the Associated Transmission System and the Connectivity grantee seeks part effectiveness of its Connectivity as per Clause (a) of Regulation 22.4 of GNA Regulations, Yearly Transmission Charges in respect of such transmission elements of the Associated Transmission System shall be included for determination of transmission charges of DICs in accordance with Regulations 5 to 8 of these regulations.”

- (7) The words ‘generating station’ shall be substituted with words ‘Connectivity grantee’ in Clause (6) of Regulation 13 of the Principal Regulations:

- (8) Clause (7) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted asunder:

“(7) Where Connectivity is granted to a Connectivity grantee other than Renewable Power Park Developer, on margins of existing system or on the augmented system with no ATS, and if the COD of such Grantee is delayed beyond start date of connectivity, the Connectivity grantee shall, corresponding to the capacity that is delayed, pay transmission charges from the start date of such Connectivity at the rate of Rs. 3000/MW/month:

Provided that where a Connectivity grantee is Renewable Power Park Developer and the generation capacity within the Renewable Power Park has not declared COD on or before start date of Connectivity in terms of GNA Regulations, the Renewable Power Park Developer shall pay transmission charges from the start date of such Connectivity at the rate of Rs. 3000/MW/month corresponding to generation capacity which have not achieved COD:



**Explanation:** Such amount received in a billing month, shall be reimbursed to the drawee DICs in proportion to their share in the first bill in the following billing month.”

- (9) The words “Long Term Access” shall be substituted with the words “Connectivity” in Clause (8) of Regulation 13 of the Principal Regulations
- (10) Clause (9) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted asunder:  
 “(9) Where a dedicated transmission line has already been constructed or is under construction by an inter-State transmission licensee under coordinated transmission planning of the Central Transmission Utility, and the Connectivity grantee has not achieved COD on or before COD of the dedicated transmission line, the Yearly Transmission Charges for such dedicated transmission line shall be payable by the concerned Connectivity grantee to the inter-State transmission licensee from the COD of the dedicated transmission line till COD of such Connectivity grantee and after which Yearly Transmission Charge for the dedicated transmission line shall be considered in accordance with Regulations 5 to 8 of these regulations.”
- (11) Clause (10) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted as under:  
 “(10) Regional entity Generating station (a) drawing start-up power prior to COD or (b) drawing auxiliary power before or after COD through ISTS, shall pay transmission charges for such drawl, at T-GNA Rate for the State in which it is located and the amount so received in a billing month, shall be reimbursed to the drawee DICs in proportion to their share in the first bill in the following billing month”
- (12) Clause (11) of Regulation 13 of the Principal Regulations shall be substituted as under:  
 “(11) Transmission deviation charges shall not be levied for injection of infirm power prior to COD of a generating station.”
- (13) The word ‘or’ shall be inserted after the subclause (c) in Clause (12) of Regulation 13 of the Principal Regulations.
- (14) New subclauses (d) to (g) shall be added after subclause (c) in Clause (12) of Regulation 13 of the Principal Regulations as under:  
 “(d) paid by the respective drawee DIC(s) of the State whose intra-state transmission system is delayed, till such intra-State transmission system achieves COD.  
 (e) paid by the Bulk consumer or distribution licensee granted approval to directly connect to ISTS, whose connecting transmission line to ISTS is delayed, till such line is connected to ISTS, or  
 (f) paid by the ESS whose project is delayed, till the ESS achieves COD.  
 (g) paid by the Renewable Power Park developer whose Park is delayed, till it is connected to ISTS.”

## 12. Amendment to Regulation 14 of the Principal Regulations:

The words “and injecting DICs with united LTA” in Clause (1) of Regulation 14 of the Principal Regulations shall be deleted.

## 13. Amendment to Regulation 15 of the Principal Regulations:

- (1) The subclause (a) of Clause (2) of Regulation 15 of the Principal Regulations shall be substituted as under:  
 “(a) The first bill of each billing month shall contain the transmission charges for the billing period determined in accordance with Regulations 5 to 8 of these Regulations as adjusted in accordance with Regulation 13 (2) of these regulations.”
- (2) Sub-clause (b) of Clause (2) of Regulation 15 of the Principal Regulations shall be substituted as under:  
 “(b) The second bill shall be raised in the months of June, September, December and March every year for the quarter ending on 31<sup>st</sup> March, 30<sup>th</sup> June, 30<sup>th</sup> September and 31<sup>st</sup> December respectively to adjust variations on account of any revision in transmission charges allowed by the Commission, including incentives as applicable:  
 Provided that under-recovery or over-recovery of any amount on account of such revision in transmission charges in respect of a billing period shall be billed by the Central Transmission Utility to DICs in proportion to their first bill (as calculated after factoring clause (2) of Regulation 13 of these regulations) in the relevant billing month.”

**14. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations:**

- (1) The Regulation 18 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Late payment surcharge shall be payable by the concerned DIC as per the LPS Rules in case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed by a DIC, beyond the due date.”

**15. Amendment to Regulation 19 of the Principal Regulations:**

- (1) The number and words “3 (three) months” in Clause (1) of Regulation 19 of the Principal Regulations shall be substituted with number and words “2 (two) months”.
- (2) The words ‘date of operationalization of Long Term Access or Medium Term Open Access’ (occurring multiple times) in Clause (1) of Regulation 19 of the Principal Regulations shall be substituted with words ‘effective date of GNA or GNA<sub>RE</sub>’.
- (3) Clause (7) of Regulation 19 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“In case of failure on the part of any DIC to maintain or replenish the Letter of Credit or such other instrument of payment security mechanism for the required amount, the defaulting DIC shall be liable for action in accordance with the LPS Rules.”

**16. Amendment to Regulation 21 of the Principal Regulations:**

- (1) Regulation 21 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Failure on the part of a DIC to make payment of transmission charges against the bills by the due date under these regulations shall make such DIC liable for action by the Central Transmission Utility, on behalf of inter-State transmission licensee(s) in accordance with LPS Rules.”

**17. Amendment to Regulation 23 of the Principal Regulations:**

- (1) A new Clause (4) shall be added after Clause (3) of Regulation 23 of the Principal Regulations as under:

“(4) The Implementing Agency shall, within 45 (forty-five) days of the notification of this amendment, publish the revised detailed procedures for implementation of the provisions of this amendment after stakeholder consultation.”

**18. Amendment to Regulation 24 of the Principal Regulations:**

- (1) Sub-clause (b) of Clause (4) of Regulation 24 of the Principal Regulations shall be deleted.

**19. Amendment to Regulation 25 of the Principal Regulations:**

- (1) The words “Long Term Access and Medium Term Open Access” shall be substituted by the word “GNA and GNA<sub>RE</sub>” in sub-clause (g) of Clause (1) of Regulation 25 of the Principal Regulations.
- (2) A new sub-clause (j) shall be added after sub-clause (i) of Clause (1) of Regulation 25 of the Principal Regulations as under:

“(j) Detailed calculations as per Annexure -III.”

**20. Amendment in Annexure-1 of the Principal Regulations:**

- (1) Sub-clause (d) of Clause 5.16.3 of Annexure-1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(d) Modify the Marginal Flow file obtained at clause (c) above as follows:

- For generating stations reduce values of Marginal Participation Factors to zero.”

- (2) Clause 5.16.4 of Annexure-1 of the Principal Regulations shall be deleted.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./674/2022-23]

**Annexure-III****Methodology of calculation of waiver of transmission charges**

- (3) Methodology for calculation of waiver of transmission charges in respect of drawee DICs which have obtained GNA and GNA<sub>RE</sub>

- (a) The transmission charges towards ISTS for each drawee DIC shall be computed in accordance with Regulations 5 to 8 of these regulations.
- (b) The waiver of transmission charges shall be calculated in the following manner: -
- (i) Waiver of a drawee DIC other than a drawee DIC which has obtained “GNA<sub>RE</sub>” shall be calculated based on the following formulae:

$$\text{Waiver (\%)} = 100 \times \frac{\sum_{n=1}^T \frac{SDRG}{SDTG}}{T}$$

Where,

“SDRG” is the drawl schedule (in MW) through ISTS under GNA from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations in nth block;

“SDTG” is the total drawl schedule (in MW) under GNA through ISTS from all sources in nth block;

“n” is the nth time block

“T” is number of time blocks in a month = 96 X number of days in a month

Provided that in case the “SDTG” for a time block is less than 75% of the maximum schedule corresponding to GNA, the “SDTG” shall be taken as 75% of maximum schedule corresponding to GNA for a time block.

- (ii) Waiver of a drawee DIC which has obtained “GNA<sub>RE</sub>” shall be calculated based on the following formulae:

$$\text{Waiver (\%)} = 100 \times \frac{\text{sum of SDRG for all time blocks in the month}}{(\text{total number of time blocks in the month} \times 0.3 \times \text{GNARE})}$$

Where,

“GNA<sub>RE</sub>” is the GNA to procure power only from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations;

“SDRG” is the drawl schedule (in MW) in a time block through ISTS under GNA<sub>RE</sub> from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations;

Provided that maximum waiver shall be limited to 100%:

Provided further that if such an entity draws power from any source other than the sources eligible for waiver under Regulation 13 (2) of these regulations, except after obtaining additional GNA or T-GNA or converting GNA<sub>RE</sub> into GNA by making an application to CTU, it shall be charged @TDR of the State in which such an entity is located.

- (c) Amount of waiver for each drawee DIC shall be determined by multiplying Waiver % calculated under sub-clause (b) with the transmission charges computed under sub-clause(a) of this Clause.
- (d) Transmission charges for each drawee DIC computed under sub-clause (a) shall be reduced by amount of waiver calculated at sub-clause (c) of this Clause.
- (e) Total amount of waiver shall be calculated as sum of amount of waiver for all drawee DICs calculated under sub-clause (c) of this Clause.
- (f) The first bill shall be sum of transmission charges as calculated at sub-clause (d) of this Clause and amount arrived at by apportioning the total amount of waiver as arrived under sub-clause (e), in proportion to transmission charges of each drawee DIC calculated as per sub-clause (d) of this Clause, and shall be used for billing under subclause (b) of Clause (2) of Regulation 15.

- (4) Methodology of calculation of waiver of transmission charges in respect of drawee DICs which have obtained T-GNA or T-GNA<sub>RE</sub>
- (a) The transmission charges for ISTS for T-GNA and T-GNA<sub>RE</sub> shall be computed in accordance with Regulation 11 of these regulations.
- (b) The waiver of transmission charges shall be calculated in the following manner: -
- (ii) Waiver of a drawee DIC other than a DIC which has obtained “T-GNA<sub>RE</sub>” shall be calculated based on the following formulae:

$$\text{Waiver (\%)} = 100 \times \frac{\sum_{n=1}^T \left( \frac{\text{SDRTG}}{\text{SDTTG}} \right)}{T}$$

Where,

“SDRTG” is the drawl schedule (in MW) through ISTS under T-GNA from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations in *n*th block;

“SDTTG” is the total drawl schedule (in MW) under T-GNA through ISTS from all sources in *n*th block; and

“*n*” is the *n*th time block

“*T*” is number of time blocks in a month = 96 X number of days in a month

Provided that in case the “SDTTG” for a time block is less than 75% of the maximum schedule corresponding to T-GNA, the “SDTTG” shall be taken as 75% of maximum schedule corresponding to T-GNA for a time block.

- (iii) Waiver of a drawee DIC which has obtained “T-GNA<sub>RE</sub>” shall be calculated based on the following formulae:

$$\text{Waiver (\%)} = 100 \times (\text{sum of SDRTG for all time blocks in the month}) / (\text{total number of time blocks in the month} \times 0.3 \times \text{T-GNA}_{\text{RE}})$$

Where,

“T-GNA<sub>RE</sub>” is the T-GNA to procure power only from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations;

“SDRTG” is the drawl schedule (in MW) through ISTS under T-GNA<sub>RE</sub> from the sources eligible for waiver under Regulation 13 of these regulations in a time block;

Provided that maximum waiver shall be limited to 100%:

Provided further that if such an entity draws power from any source other than the sources eligible for waiver under Regulation 13 (2) of these regulations, except after obtaining additional GNA or T-GNA or converting T-GNA<sub>RE</sub> into T-GNA by making an application to CTU, it shall be charged @TDR of the State in which such an entity is located.

- (c) Amount of waiver for each drawee DIC shall be determined by multiplying Waiver % calculated under sub-clause (b) with the transmission charges computed under sub-clause (a) of this Clause.
- (d) Amount of waiver for each drawee DIC as calculated under sub-clause (c) of this Clause shall be reimbursed from the already paid T-GNA or T-GNA<sub>RE</sub> charges on finalization of schedules, by 15th day of the next month.